छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(नियम शाखा)
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, दिनांक 27-07-2026

क्रमांक RULE/297/2025-GAD-3 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक एवं छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, 2026 (क्रमांक 5 सन् 2026) की धारा 3 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, विभागीय समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक RULE/297/2025-GAD-3**,** दिनांक 19.06.2026 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

1. समूह-1, तृतीय श्रेणी (अभियांत्रिकी सेवा) शीर्षक अंतर्गत सरल क्रमांक 3 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"3(क)	उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रिकल/मेकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा बी.ई./बी.टेक डिग्री। chaturpost.com	भाग-अ अनिवार्य (कॉमन) एवं भाग-ब संकायवार पाठ्यक्रम परीक्षा अयोजित होगी।"

2. समूह-2, तृतीय श्रेणी (स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर) शीर्षक अंतर्गत उप समूह-03 के सरल क्रमांक 5 में अंकित पदनाम "सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी" का लोप किया जाये।

3. समूह-5, तृतीय श्रेणी (विज्ञान एवं स्वास्थ्य सेवाएं) शीर्षक अंतर्गत सरल क्रमांक 6 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"7.	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से जीव विज्ञान विषय के साथ हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण तथा विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हताएं। chaturpost.com	भाग-अ अनिवार्य (कॉमन) एवं भाग-ब संकाय विशिष्ट।"

क्रमशः 2

4. समूह-6, तृतीय श्रेणी (हायर सेकेण्डरी स्तर) शीर्षक अंतर्गत उप समूह-01 के सरल क्रमांक 2 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"2.	अनुरेखक	ड्राईंग को एक विषय के रूप में लेकर किसी मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) या उसके समकक्ष किसी परीक्षा का प्रमाण पत्र या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था/बोर्ड का प्रमाण पत्र। अथवा छत्तीसगढ़ बोर्ड या किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हायर सेकेण्डरी (तकनीकी) परीक्षा का प्रमाणपत्र। अथवा सर्वेयर का व्यवसायिक शिक्षुता प्रमाणपत्र। अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मानचित्रकला (ड्राफ्टसमेनशीप) में प्रमाण पत्र।	भाग-अ अनिवार्य (कॉमन) एवं भाग-ब संकाय विशिष्ट।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

Digitally signed by
RAJAT KUMAR
Date: 27-07-2026
13:25:14

(रजत कुमार)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक RULE/297/2025-GAD-3 नवा रायपुर, दिनांक 27-07-2026

प्रतिलिपिः-

1. मा. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़, लोक भवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, नवा रायपुर
4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

क्रमशः 3